32/2017

A5

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 32/17

रेखा पत्नी रविन्द्र, वार्ड सं0 6, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

राज्य जरिये उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।

आदेश

दिनांक : 02–05–2017

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उसके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र, वार्ड सं0 6, गजसिंहपुर कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद दिनांक 12–1–17 को आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी, पदमपुर को जमा करवाया गया था। दिनांक 31.1.17 को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में चयन कमेटी द्वारा उसका चयन ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्ड सं0 6 के लिए कर दिया गया था, जिसके विरूद्व अन्य आवेदनकर्ता श्रीमती अकविन्द्रकौर ने उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर में अपील प्रस्तुत की थी, जिसकी सुनवाई हेतु समस्त आवेदनकर्ताओं को दिनांक 28–2–17 को कार्यालय में बुलाया गया था, जिसमें आवेदनकर्ताओं से झूठे बयान लेकर उसका चयन निरस्त कर दिया। समाचार पत्रों में पुनः विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 17–4–17 को अंतिम तिथि तय कर, फिर से आवेदन मॉगे गये। प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। उपनिदेशक को शहरी क्षेत्र की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। वह एस0सी0 वर्ग से है। उसका चयन – चयन कमेटी द्वारा किया गया था। अतः जॉच की जाकर न्याय किया जावे।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलार्थिया को सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 27–12–16 को ऑगनबाड़ी केन्द्र 6 एफ एफ के कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को दिनांक 16–1–17 तक आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि रखी गई थी। वार्ड सं0 6 के लिए कुल आठ फार्म जमा हुए। विभाग के निर्धारित मूल्याकंन प्रपत्र के अनुसार सही चयन तथा तथ्य छिपाकर भर्ती किये जाने के संबंध में श्रीमती अकविन्द्रकौर के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 28–2–17 को समस्त आवेदनकर्ताओं को बुलाया गया, जिसमें अपीलार्थिया को भी पत्र लिखा गया तथा प्राप्ति रसीद भी ली गई, लेकिन अपीलार्थिया निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं हुई। अन्य सभी आवेदनकर्ताएं उपस्थित हुई। उपस्थित महिलाओं के द्वारा सुनवाई के समय लिखित में दिया गया कि आवेदन पत्र के साथ मूल्याकंन प्रपत्र पुराना दिया गया जिसमें स्नातक एवं

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

32/2017 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

स्नातकोतर से उपर का अंक भार 3 है। स्नातकोतर का अंक भार अलग से नहीं है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, पदमपुर द्वारा स्नातकोतर के अंक अलग से दिये गये हैं। आवेदकों को नवीन मूल्यांकन प्रपत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया जबकि विभाग द्वारा नवीन मूल्यांकन प्रपत्र जोड़कर चयन कर दिया गया जो कि विभाग के परिपत्र के अनुसार सही नहीं है। आवेदनकर्तागण एम0 ए0 की अंकतालिका संलग्न करने से वंचित रहे हैं। रिपोर्ट में इस तथ्य का भी अंकन किया गया है कि अभिलेख में दो प्रकार के मूल्यांकन प्रपत्र संलग्न पाए गए हैं। इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी, पदमपुर की रिपोर्ट दिनांक 9–3–16 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदकों द्वारा पुराना मूल्यांकन प्रपत्र तथ नवीन मूल्यांकन प्रपत्र कार्यालय की महिला पर्यवेक्षकों के द्वारा लगाया गया है। रिपोर्ट में इस तथ्य का भी अंकन किया गया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, पदमपुर द्वारा आवेदन जमा करते समय आवेदन पत्रों की जॉच नहीं की गई तथा आवेदन पत्रों की जॉच की जाकर उसी समय आवेदकों को नवीन मूल्यांकन प्रपत्र उपलब्ध करवाये जाकर नवीन चयन प्रक्रिया के अनुरूप आवेदन जमा कराने हेतु निर्देशित किया जाना था। बाल विकास परियोजना अधिकारी, पदमपुर की लापरवाही के कारण आवेदक एम0 ए0 की अंकतालिका आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने से वंचित रहें हैं। इस कारण से चयन निरस्त कर, विभागीय नवीन चयन प्रक्रिया के अनुरूप चयन किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

इस प्रकार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पदमपुर द्वारा वार्ड सं0 6 गजसिंहपुर के लिए ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए चयन प्रक्रिया में मूल्याकंन प्रपत्रों की पूर्ति दोषपूर्ण, आवेदन पत्रों की जॉच न करने के कारण उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर द्वारा चयन को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। मेरे विन्रम मत में अपीलार्थिया को विभाग की नवीन चयन परिपत्र के अनुसार आगामी दिनों में जारी होने वाली विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन करना चाहिये। अतः ऐसी स्थिति में अपील खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति अपीलार्थिया एवं उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 2–5–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

ह0 2/5/17

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर